सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 69 / 15 **निर्णय दिनांकः–13 –09–2019**

1. मदनलाल पुत्र नहरूलाल जाति जांट निवासी राववाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 07–01–2008
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 07–01–2008 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील कोलायत में चक 21 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 86 / 21 में तादादी 23 बीघा भूमि बतौर सीलबिड आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे तथा धरोहर राशि 35,000 / – भी खजानाराज में जमा करवाई गई थी। वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु एक अन्य आवेदक द्वारा भी आवेदन किया गया था परन्तु अपीलांट की

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

बोली अधिक होने के कारण उक्त भूमि के आवंटन का पात्र अपीलांट था। परन्तु आवंटन अधिकारी ने उक्त अपीलांट को आवंटित नहीं करने के उद्वेश्य मात्र से यह अंकित करते हुए कि " उक्त रकबा पर न्यायालय का स्थगन आदेश है अतः आवेदन खारिज किया जाता है।" उक्त स्थगन आदेश किस न्यायालय द्वारा अथवा किस सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है इस बाबत् कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र अपीलांट को वादग्रस्त भूमि का आवंटन नहीं किये जाने के उद्वेश्य मात्र से तमाम कार्यवाही आवंटन अधिकारी द्वारा की गई है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अधीनस्थ न्यायालय के इस तथ्य को स्वीकार भी कर लिया जावे तब भी अपीलांट का आवेदन अन्य सीलबीड हेतु आरक्षित भूमि की प्रक्रिया में शामिल किया जाकर अन्य समान श्रेणी की भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकार की कोई कार्यवाही अपीलांट के आवेदन पत्र पर नहीं की गई है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 07–01–2008 के विरूद्व अपील दिनांक 25–04–13 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि पर न्यायालय का स्थगन होने के कारण अपीलांट का आवेदन पत्र खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 07–01–2008 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 25–04–2013 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलांट को उसका आवेदन खारिज करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई सूचना अथवा नोटिस जारी नहीं करते हुए आवंटन खारिज किया गया है। अपीलांट एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का काश्तकार व्यक्ति है। जिससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती वे न्यायालय के दिन–प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखे। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किये जाने के कारण प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

हस्तगत् प्रकरण में परीक्षण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को सीपीसी के आदेश 41 नियम 13 (2) के हवाले से मूल पत्रावली भिजवाने की अपेक्षा की गई। परीक्षण न्यायालय द्वारा गत् 06 वर्षो के दौरान बार–बार स्मरण पत्र जारी करने के बावजूद पत्रावली एवं संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। पक्षकारों ने संभावना जाहिर की है कि अपील प्रस्तुत करने के उद्वेश्य को निष्फल करने के लिये परीक्षण न्यायालय के कार्मिकों ने मूल दस्तावोज गायब कर दिये है। गत् 06 वर्षो तक बार–बार तलबी जारी होने तथा अर्द्वशासकीय पत्र जारी होने के उपरान्त पत्रावली उपलब्ध नहीं करवना उक्त संभावनाओं की पुष्टि करता है। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणित

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रतियों पर विश्वास करते हुए अपील का निस्तारण करने के अलावा अपील न्यायालय के पास कोई विकल्प नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर इस अपील का निस्तारण किया जा रहा है।

प्रकरण में अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर मोहरबन्द बोली के तहत आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत करते हुए चक 21 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 86 / 21 में तादादी 23 बीघा भूमि भूमि आवंटन की मांग की गई थी तथा प्रार्थना पत्र के साथ ही धरोहर राशि 35,000 / – भी खजानाराज में जमा करवाये जा चुके थे। उक्त भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट के अतिरिक्त एक अन्य आवेदक द्वारा भी आवेदन किया गया था। आवंटन अधिकारी द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु दरें प्राप्त करने के उपरान्त न्यायालय का स्थगन आदेश बताकर आवेदन खारिज कर दिया गया। आवंटन अधिकारी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस न्यायालय द्वारा किस दिनांक को स्थगन आदेश जारी किया गया। यदि मुरब्बा विशेष पर स्थगनादेश था तो भी आवेदक द्वारा राशि जमा करवा देने पर अन्यत्र अधिसूचित भूमि के लिये बोली में आवेदन शामिल किया जा सकता था। केवल आवेदक को आवंटन से वंचित करने के उद्वेश्य मात्र से अस्पष्ट आदेश लिखते हुए आवेदन खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 07—01—2008 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का आवेदन पत्र अन्यत्र अधिसूचित भूमि की बोली में शामिल किया जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13—09—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
(रामनिवास जाट)
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर